# अष्टादश

# बिहार विधान सभा

## द्वितीय सत्र

## तारांकित प्रश्न

### वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{04 फाल्गुन, 1947 (शo)}}{\text{23 फरवरी, 2026 (ईo)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 97

| | | |
|---|---|---|
| (1) | गृह विभाग | 53 |
| (2) | सामान्य प्रशासन विभाग | 13 |
| (3) | वित्त विभाग | 03 |
| (4) | उद्योग विभाग | 14 |
| (5) | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 04 |
| (6) | गन्ना उद्योग विभाग | 05 |
| (7) | सूचना प्रावैधिकी विभाग | 01 |
| (8) | सिविल विमानन विभाग | 02 |
| (9) | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | 01 |
| (10) | वाणिज्य-कर विभाग | 01 |
| | कुल योग -- | 97 |

प्रतिमा का अनावरण एवं लोकार्पण

*1873. डॉ० कुमार पुष्पंजय (क्षेत्र संख्या-170 बरबीघा)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के संस्थापकों में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक, पूर्व सांसद स्व० राजो सिंह की प्रतिमा शेखपुरा समाहरणालय परिसर बनकर तैयार है, किन्तु उस प्रतिमा का अनावरण एवं लोकार्पण अबतक नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार शेखपुरा में स्व० राजो सिंह की प्रतिमा का अनावरण एवं लोकार्पण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

प्रखण्ड परिवर्तित कराना

*1874. श्री हरिनारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत हरनौत प्रखण्ड के ग्राम पंचायत सरथा का स्थानांतरण प्रखण्ड चण्डी से बिहार सरकार के गजट का ज्ञापांक 432027, दिनांक 31 मार्च, 2021 के द्वारा किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्राम पंचायत सरथा का स्थानांतरण प्रखण्ड हरनौत में हो जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, शिक्षा विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि विभाग का कार्य अभीतक प्रखण्ड चण्डी से ही होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ग्राम पंचायत सरथा के उक्त सभी विभागों को प्रखण्ड हरनौत में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

अनुमंडल का दर्जा प्रदान कराना

*1875. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत एकंगर प्रखंड (लगभग 2.10 लाख जनसंख्या) एवं इस्लामपुर प्रखंड लगभग 2.75 लाख जनसंख्या) सम्मिलित है, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 4.85 लाख है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में इस्लामपुर विधान सभा क्षेत्र का अनुमंडलीय कार्यालय, हिलसा में स्थित होने के कारण इस्लामपुर प्रखंड की कई पंचायतों के लोगों को न्यायालय, भूमि अभिलेख एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिये लगभग 40-50 किलो मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उन्हें गंभीर असुविधा एवं आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस्लामपुर विधान सभा क्षेत्र को अलग अनुमंडल (सब-डिविजनल) का दर्जा प्रदान करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पुलिस थाना की स्थापना

*1876. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान थाना क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार तथा जनसंख्या घनत्व के कारण पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी पहुँच बाधित हो रही है, जिससे अपराध नियंत्रण एवं जन-सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, सरकार

के संज्ञान में यह भी है कि क्षेत्रीय आवश्यकता एवं सीमावर्ती स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मई में नवीन पुलिस थाना की स्थापना करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कार्रवाई कराना

*1877. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सर्फेसी ऐक्ट 2002 अधिनियम 14 के तहत किसी की सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने के लिये बैंकों से प्राप्त आवेदन में बैंक अधिकारियों का शपथ-पत्र नहीं रहने पर उस आवेदन की सुनवाई करने का नियम नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जिलाधिकारी, जमुई के न्यायालय से श्रीमती श्वेता सिंह, पति-श्री मनोज कुमार चन्देल को दिनांक 10 सितम्बर, 2021 को क्रमशः नोटिस संख्या सर्फेसी 01/2021, सर्फेसी, 02/2021, सर्फेसी, 03/2021, सर्फेसी, 04/2021 निर्गत होने तथा जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

जी०आई० टैग दिलाना

*1878. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बाढ़ अनुमण्डल में बाढ़ की प्रसिद्ध मिठाई खोबी की लाई है, जो सदियों से बनाई जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार खोबी की लाई को जी०आई० टैग कबतक दिलाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पुलिस थाना स्थापित करना

*1879. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत प्रखंड पुनपुन के पंचायत लखना उत्तरी पश्चिमी के ग्राम-लखना में कोई थाना नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस नियमावली और प्रशासनिक निर्णयों के अनुसार आबादी वाले क्षेत्र में 5-10 किलो मीटर के भीतर एक थाना होना चाहिये, जबकि लखना बाजार से पुनपुन थाने की दूरी लगभग 12 कि०मी० और गौरीचक थाने की दूरी लगभग 13 कि०मी० है, जो सुरक्षा के दृष्टि से सही नहीं है, पुलिस घटना स्थल पर ससमय नहीं पहुंच पाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लखना बाजार में पुलिस थाना स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना

*1880. श्रीमती कोमल सिंह (क्षेत्र संख्या-88 गायघाट)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत गायघाट प्रखंड में बड़े पैमाने पर मक्का की खेती की जाती है, परंतु मक्का आधारित प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं होने के कारण किसानों को उचित मूल्य तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रसंस्करण इकाई के अभाव में किसानों को अपना उत्पाद अन्य क्षेत्रों में भेजना पड़ता है, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियाँ एवं रोजगार के अवसर विकसित नहीं हो पा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गायघाट प्रखंड में मक्का आधारित लघु/मध्यम उद्योग अथवा फूड प्रोसेसिंग इकाई कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित कराना

*1881. श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र संख्या-243 चकाई)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला सहित अन्य जिलों में खैरा (पुजहर) जाति के लोग लाखों की संख्या में संपूर्ण बिहार में विद्यमान है, जिनकी भाषा एवं रहन-सहन आदिवासियों के समान है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में कबतक अधिसूचित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित कराना

*1882. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत सन्हौला प्रखंड की धुआबे पंचायत में वर्ष 2014 में 'फूड प्रोसेसिंग पार्क' की योजना स्वीकृत हुयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रस्तावित पार्क हेतु चिन्हित 85 एकड़ भूमि के विरुद्ध मेसर्स केवेंटर एग्री इंफ्रा लिमिटेड द्वारा लगभग 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, परंतु एक दशक बीत जाने के बाद भी वहां उद्योगों की स्थापना एवं संचालन नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्थानीय किसानों से अधिगृहित भूमि के सदुपयोग हेतु राज्य की नयी औद्योगिक नीति के तहत वहां "प्लग एंड प्ले" आधारित प्री फैब्रिकेटेड शेड तथा अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाएँ विकसित कर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को आमंत्रित करने एवं स्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना

*1883. श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल (क्षेत्र संख्या-153 गोपालपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के गंगोता जाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति जनजातीय समुदाय की तरह है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनका जीवन-यापन का स्तर अनुसूचित जनजाति से भिन्न नहीं है और गंगोता समुदाय का रहन-सहन, खान-पान, पहनावे-ओढ़ावे आदि का स्तर निम्न है तथा शिक्षा एवं राजनैतिक चेतना का स्तर भी इस समुदाय में कम है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का स्पष्ट अनुशंसा अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना द्वारा किया गया है, लेकिन आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गंगोता जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

बाजार उपलब्ध कराना

*1884. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सिल्क सिटी के रूप में प्रसिद्ध रेशम उद्योग सस्ती बिजली, लागत बढ़ने तथा बाजार उपलब्ध नहीं होने के कारण नाथनगर, चम्पानगर, हसनाबाद, कस्बा, मस्कन, बरारी के बुनकरों की स्थिति काफी दयनीय है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बुनकरों के लिये बिजली में सब्सिडी एवं बाजार उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1885. श्रीमती सोनम रानी (क्षेत्र संख्या-44 त्रिवेणीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज नगर परिषद् वार्ड नं० 10 के सखुआ कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से पशु, आवारा जानवर कब्रिस्तान में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है तथा आमलोगों के द्वारा कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण भी किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

## कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*1886. श्री अमरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरगांबाद जिला के हसपुरा प्रखंड अन्तर्गत टाल पंचायत के ग्राम-हलिमचक के खाता नं० 147, प्लाट नं० 1521, रकबा 62 डी० में कब्रिस्तान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण यहाँ असामाजिक तत्वों एवं आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है जिससे क्षेत्र की जनता में काफी असंतोष है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

## कार्रवाई करना

*1887. श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया थाना में फर्जी मुकदमा कांड संख्या 191/2025 अनिता देवी को वादी बनाकर दर्ज किया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि जब अनिता देवी से वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा खंड (1) में वर्णित कांड के संबंध में बयान लिया गया तब अनिता देवी ने अपने साथ घटना घटित होने से इनकार किया तब थाना प्रभारी ने अनिता देवी तथा उनके पड़ोसी हरेन्द्र राम को धमकाया तथा प्रताड़ित करने का हर संभव प्रयास किया, जिसकी जाँच आरक्षी अधीक्षक, सीतामढ़ी के द्वारा करायी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मामले की जाँच कराकर दोषी पुलिस पदाधिकारी पर विधिसम्मत् कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

-------------

## हवाई अड्डा का निर्माण

*1888. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी)--क्या मंत्री, सिविल विमानन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत सुअरा में कोई हवाई अड्डा नहीं है, जिससे रोहतास जिला एवं आस-पास के क्षेत्रों के यात्रियों को हवाई यात्रा हेतु पटना अथवा वाराणसी जाना पड़ता है, जो काफी दूर है जो समय और धन दोनों की दृष्टि से अत्यंत असुविधाजनक है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सुअरा हवाई अड्डा को विकसित कर नियमित हवाई सेवा प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गुड़ खांडसरी उद्योग लगाना

*1889. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण में गन्ना की खेती बहुतायत से होती है, परंतु चीनी मिल उपलब्ध नहीं रहने के कारण यहाँ के गन्ना किसान गोपालगंज की चीनी मिल पर आश्रित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि गुड़ एवं खांडसरी उद्योग के मॉडल के रूप में पूर्वी चंपारण जिला को विकसित करने हेतु पाँच वर्ष से विभाग से मांग की जा रही है, परंतु अभीतक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गुड़ एवं खांडसरी उद्योग लगाकर पूर्वी चंपारण जिले को मॉडल जिला के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1890. मोहम्मद मुर्शिद आलम (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के चिलहनिया ग्राम पंचायत के वार्ड नं० 10 में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी अधूरी है जिसके कारण उक्त कब्रिस्तान में पशुओं का आवागमन होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान का पूर्ण घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

के०सी०सी० लोन मुहैया कराना

*1891. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड (के०सी०सी०) ससमय नहीं मिलने के कारण किसान साहुकारों एवं निजी एजेन्सियों से कर्ज लेकर ज्यादा ब्याज के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बैंको के जरिए 3 प्रतिशत के के०सी०सी० के तहत किसानों को लोन दिया जाता है, जबकि नाबार्ड से 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का समझौता वर्ष 1998-1999 में हुआ है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त किसानों को के०सी०सी० लोन मुहैया कराने में बैंको द्वारा LPC जिसके नाम पर जमीन है तथा अन्य कागजातों का कारण बताकर किसानों को लोन नहीं दिया जाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों को सुलभ तरीके से के०सी०सी० लोन मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दायित्व निर्धारण कराना

*1892. श्री विशाल प्रशांत (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्री-GST अवधि (जुलाई, 2017 से पूर्व) के अंतर्गत निष्पादित कार्य अनुबंधों में यदि विभाग द्वारा GST Reimbursement का भुगतान विलंब से किए जाने के कारण ठेकेदार द्वारा GST का भुगतान समय पर नहीं हो पाया हो जिसके फलस्वरूप GST विभाग द्वारा ब्याज एवं/या दंड आरोपित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ऐसे ब्याज एवं दंड की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) ठेकेदार को किए जाने की अनुशंसा वित्त विभाग द्वारा की जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ठेकेदार द्वारा वित्तीय हानि की भरपाई करने हेतु कौन-सी प्रावधान/कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

अवैध बुचड़खाना बंद कराना

*1893. श्री आलोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के विक्रमगंज प्रखंड के थाना चौक के पास विगत 15 वर्षों से अधिक समय से अवैध बुचड़खाना चलाया जा रहा है जबकि गौ माता हिन्दू धर्म की आस्था का प्रतीक है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अवैध बुचड़खाना को कबतक बंद कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

चहारदीवारी का निर्माण

*1894. श्री सुरेंद्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-01 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला के प्रखंड भीतहाँ में थाना भीतहाँ अवस्थित है जिसका चहारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना भीतहाँ की चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

चेक पोस्ट स्थापित कराना

*1895. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबुबरही)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियाँ प्रखंड के पदमा और जोशिया के बीच एक भी चेक पोस्ट B.O.P नहीं रहने तथा नेपाल सीमा से सटे रहने के कारण आये दिन हमेशा अप्रिय घटना घटित होती रहती है, जिससे राहगीरों में काफी आक्रोश है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अतिसंवेदनशील स्थल को ध्यान में रखते हुए पदमा और जोशिया के बीच एक चेक पोस्ट B.O.P की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाना

*1896. श्री भाई विरेंद्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत पुरैनी प्रखंड के पुरैनी बाजार ग्राम में आये दिन आपराधिक घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ आमजन भयभीत हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में प्रमुख चौक-चौराहों पर सी०सी०टी०वी० कैमरे स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*1897. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी (अ० जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अंतर्गत प्रखण्ड बोधगया के कुरमावाँ पंचायत के करमाढ़ाब स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने से अतिक्रमण एवं सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*1898. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखंड के कटका पैगम्बरपुर पंचायत के महमदपुर गाँव में थाना संख्या 327, खाता संख्या 66 अंतर्गत कुल 64 डिसमिल कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण उक्त भूमि पर आये दिन बालू ट्रक आदि का आवागमन और अतिक्रमण होने से ग्रामीणों को कठिनाई और स्थानीय स्तर पर सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कब्रिस्तानों की घेराबन्दी करना

*1899. मो० फैसल रहमान (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के ढाका विधान सभा अंतर्गत ढाका नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत औरैया (दक्षिणी कब्रिस्तान एवं जनाजा गाह), चैनपुर ढाका, मोहब्बतपुर ढाका, ढाका रामचन्द्र तथा विभिन्न पंचायतों भण्डार, दलपत, ब०फ०म०, करसहिया, गुआबारी,जटबलिया, गवन्द्री, गहई, फुलवरिया चन्दनबारा, बड़हरवा लखनसेन, समनपुर, लौखान, गुरमिया, बगही, भेलवा, बिजई, पुरनहिया, कदमवा, घोड़ासहन दक्षिणी, घोड़ासहन उत्तरी, श्रीपुर, झरोखर, विशुनपुर, कवैया एवं बरवाकला आदि पंचायत के अंतर्गत कब्रिस्तानों की घेराबंदी अबतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

-------------

दिव्यांग आयोग का गठन

*1900. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में दिव्यांगों की संख्या 23 लाख से अधिक है, परन्तु दिव्यांगों की देख-रेख, रोजगार, सुरक्षा एवं अन्य सुविधायें प्रदान करवाने हेतु कोई आयोग गठित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिव्यांगों को अपनी समस्या रखने के लिये कोई विशेष फोरम या आयोग नहीं रहने के कारण न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ता है, साथ-ही-साथ पढ़े-लिखे मेधावी दिव्यांग छात्रों की मेधा धरी की धरी रह जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार राज्य में दिव्यांग आयोग की गठन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ट्रैफिक सिग्नल को चालू कराना

*1901. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र संख्या-240 सिकन्दरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा प्रखण्ड का सिकन्दरा चौक जो चार जिलों क्रमशः लखीसराय, नवादा, शेखपुरा एवं जमुई जिला मुख्यालय को जोड़ती है, मुख्य मार्ग का चौक होने के बावजूद यहाँ ट्रैफिक सिग्नल को चालू नहीं किया गया है जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अक्सर दुर्घटना होती रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर ट्रैफिक सिग्नल को चालू कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

थाना स्थापित कराना

*1902. श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहां प्रखंड के सरफुद्दीनपुर में थाना नहीं है जिसके कारण अपराधियों के नियंत्रण में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर थाना कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

ए०सी०पी० का लाभ देना

*1903. श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 में बिहार विशेष सैन्य पुलिस के सभी बटालियन में ट्रेड मैन पुलिस (बिगुलर,बैंड) की भर्ती की गई थी, लेकिन आजतक उनका बुनियादी प्रशिक्षण नहीं कराया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि बुनियादी प्रशिक्षण पर रोक लगाने से कुछ बटालियन का सेवा सम्पुष्टि नहीं हो सका है जिसके कारण लगभग 5000 जवानों को ए०सी०पी० का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिससे उनको आर्थिक क्षति हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्ष 2011 में नियुक्त बिहार विशेष सैन्य पुलिस के सभी बटालियन को बुनियादी प्रशिक्षण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

छात्रावास को संचालित कराना

*1904. मो० सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड में एम०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत सरकार द्वारा अलता कमलपुर, सोन्था सहित पाँच छात्रावास का निर्माण 04 वर्ष पूर्व कराया गया है लेकिन अभीतक विभाग को स्थानांतरित नहीं करने के कारण सभी छात्रावास संचालित नहीं है जिस कारण अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त सभी छात्रावास विभाग को हैण्ड ओवर कर सुचारू ढंग से संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल का निर्माण

*1905. श्री मुरारी पासवान (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती विधान सभा क्षेत्र में चीनी मिल नहीं है जिससे कि यहाँ गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को कठिनाई होती है जबकि उक्त क्षेत्र में बियाडा की जमीन लगभग 1100 (ग्यारह सौ) एकड़ उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र में चीनी मिल कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1906. मो० तौसिफ आलम (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के समेसर पंचायत के समेसर में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, जिसके कारण कब्रिस्तान पशुओं का चारागाह बना हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पुलिस अनुमंडल का स्थानान्तरण

*1907. श्री अवधेश सिंह (क्षेत्र संख्या-123 हाजीपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के हाजीपुर प्रखण्ड अंतर्गत बरांटी थाना जिसका पुलिस अनुमंडल महुआ है, जो बरांटी थाना से लगभग 25 किलो मीटर की दूरी पर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस अनुमंडल की दूरी होने के कारण वहाँ के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि पुलिस अनुमंडल, हाजीपुर की दूरी लगभग 10 किलो मीटर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बरांटी थाना का पुलिस अनुमंडल, महुआ के जगह पर हाजीपुर करने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

प्रशासनिक परिसर का निर्माण

*1908. श्री रोहित पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले में कला, संस्कृति एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण सहित अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर संचालित होने के कारण आम नागरिकों को एक ही कार्य के लिए कई जगह स्थित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे आमजनता का समय, धन एवं श्रम की अत्यधिक हानि होती है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा भागलपुर जिले में सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों को एक ही परिसर में स्थापित करने हेतु समेकित प्रशासनिक परिसर (Integrated Administrative Complex) के निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी का निर्माण

*1909. श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के गोरेयाकोठी प्रखंड अंतर्गत जामो बाजार थाना जो प्रखंड का सबसे वृहद व्यवसायी बाजार है, गोपालगंज जिला के सीमा से लगा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि है कि विगत चार माह पूर्व में जामों बाजार थाना का नया भवन 04 कि०मी० दूर स्थानांतरित कर दिया गया है जिसके कारण आमजनों के साथ-साथ स्थानीय व्यावसायियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जामो बाजार में पुलिस चौकी या टी०ओ०पी० खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

भवन का निर्माण कराना

*1910. श्री ज़िवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के कमतौल में 27 फरवरी, 2024 के पश्चात् वैकल्पिक व्यवस्था के तहत SDPO कार्यालय का संचालन हो रहा है तथा सर्किल इंस्पेक्टर का कार्यालय भी भाड़े के मकान में चल रहा है और कमतौल थाना के पास उक्त सभी प्रकार के कार्यालय एवं पदाधिकारी आवासन हेतु भूमि उपलब्ध है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार SDPO कार्यालय, सर्किल इंस्पेक्टर कार्यालय एवं कमतौल थाना कार्यालय तथा पदाधिकारी एवं कर्मियों के आवासन हेतु भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

पदस्थापन का विचार

*1911. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत प्रखंड अमौर एवं बैसा में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का पद पिछले तीन वर्षों से रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पदस्थापन नहीं होने से सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाये जा रहे योजनाओं का प्रचार-प्रसार सही तरीके से नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंड अमौर एवं बैसा में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

बंदरगाह एवं कंटेनर यार्ड का निर्माण

*1912. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला में शुष्क बंदरगाह एवं कंटेनर यार्ड की स्थापना के संदर्भ में तकनीकी विकास निदेशालय के ज्ञापांक 3608, दिनांक 12 सितम्बर, 2024 द्वारा जिला पदाधिकारी से संभाव्यता प्रतिवेदन की मांग के आलोक में जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के द्वारा पत्रांक-1043/जि०उ०कें०, दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के माध्यम से विभाग को जांच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है, जिसके आलोक में जिला स्तरीय अध्ययन दल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग एवं रेलमार्ग की अर्हताओं के अनुरूप शुष्क बंदरगाह एवं कंटेनर यार्ड बनाने की अनुशंसा की गयी है परंतु आजतक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है,

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अनुशंसा के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कराते हुये बेगूसराय में शुष्क बंदरगाह एवं कंटेनर यार्ड का निर्माण यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी का निर्माण

*1913. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-231 टिकारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अन्तर्गत दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय दरियापुर, पंचानपुर में लगभग (5000) पांच हजार विद्यार्थी नामांकित हैं तथा वर्तमान में लगभग 1500 विद्यार्थी हेतु ही विश्वविद्यालय परिसर में छात्रावास की व्यवस्था है जिसकी वजह से ये विद्यार्थी गाँवों में रहकर अध्ययन हेतु प्रतिदिन विश्वविद्यालय में आवागमन करते हैं और छात्राओं के साथ बदसलूकी एवं छेड़खानी होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अंतर्गत डेल्हा थाना क्षेत्र से चंदौती थाना क्षेत्र होते हुए पंचानपुर थाना तक की 20 किलो मीटर से अधिक दूरी होने के बावजूद कोई भी स्थाई पुलिस चौकी नहीं है, जबकि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय दरियापुर, पंचानपुर में छात्र/छात्राओं की सुरक्षा भी आवश्यक है ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जनहित में केंद्रीय विश्वविद्यालय के नजदीक गयाजी तरफ जाने वाली दिशा में एक स्थाई पुलिस चौकी बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

जिला का विस्तार कराना

*1914. श्रीमती श्वेता गुप्ता (क्षेत्र संख्या-22 शिवहर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला बिहार का सबसे छोटा एवं अत्यंत पिछड़ा जिला है, जहां दलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय सामाजिक-आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं, बावजूद इसके जिले को सच्चर कमिटी की अनुशंसाओं तथा नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्व में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा शिवहर जिले के विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भी भेजा गया था, जिसमें शिवहर लोक सभा क्षेत्र के कुछ इलाकों को शामिल करने की बात कही गई थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उस प्रस्ताव वर्तमान स्थिति के अनुसार शिवहर जिले के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए इसके प्रशासनिक विस्तार पर गंभीरता से अमल करने का इच्छा रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

चाय उद्योग नीति लागू कराना

*1915. श्री गोपाल कुमार अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला राज्य का एकमात्र क्षेत्र है जहां चाय की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रदेश में चाय नीति का निर्धारण नहीं होने से केंद्र सरकार की एजेंसी टी बोर्ड ऑफ इंडिया से किशनगंज जिला के चाय किसानों को सहायता नहीं मिल पाती है, साथ ही पर्याप्त प्रोसेसिंग सेंटर के अभाव में स्थानीय चाय उत्पादक अपनी मेहनत की उपज मजबूरन पड़ोसी राज्य बंगाल में औने-पौने दामों पर बेचने के लिए विवश हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक बिहार राज्य में चाय उद्योग नीति को लागू कर चाय किसानों का भविष्य संवारने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय भवन का निर्माण

*1916. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के मधेपुरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत परमानंदपुर थाना एवं मठाही ओ०पी० का अपना भवन नहीं है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त थाना एवं ओ०पी० का भवन एवं कार्यरत पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

अनुमंडल का पुनर्गठन

*1917. श्री नितेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत कस्बा विधान सभा क्षेत्र के कस्बा, श्रीनगर एवं जलालगढ़ प्रखंडों की जनसंख्या एवं भौगोलिक विस्तार के कारण निकटतम अनुमंडल कार्यालय की दूरी अधिक होने से नागरिकों को प्रशासनिक एवं राजस्व सेवाओं हेतु काफी कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत कस्बा को नए अनुमंडल के रूप में स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पुलिस आउट पोस्ट स्थापित कराना

*1918. श्री श्याम बाबु प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत तेतरिया प्रखंड में पुलिस आउट पोस्ट नहीं है जबकि 06 कि०मी० दूर रानीपट्टी में थाना बनाया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार तेतरिया प्रखंड, अंचल एवं तेतरिया बाजार के सुरक्षा की दृष्टि से तेतरिया में पुलिस आउट पोस्ट स्थापित करने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

विद्यालय से जवानों को हटाना

*1919. श्री रणविजय साहु (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत ताजपुर उच्च विद्यालय में बिहार विधान सभा चुनाव के लिए सितम्बर, 2025 में पारामिलिट्री के लगभग 100 जवानों को रहने की व्यवस्था की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि चुनाव की समाप्ति के बाद आज भी तीन माह से उक्त जवान रह रहे हैं जिससे उक्त उच्च विद्यालय में छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र हित में कबतक उपरोक्त विद्यालय से जवानों को हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पुलिस चौकी का निर्माण

*1920. श्री प्रमोद कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के पौथु थाना भवन से बराही बाजार की दूरी 12 कि०मी० से अधिक है, जिसके कारण आये दिन वहां के दुकानों एवं घरों में चोरी एवं अन्य अप्रिय घटनाएं घटती रहती हैं, साथ ही उक्त पंचायत में घटना घटित होने पर पुलिस को पहुँचने में देरी होती है, यदि हाँ, तो सरकार बराही बाजार में पुलिस चौकी कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरोपियों की गिरफ्तारी

*1921. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के नौगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर थाना कांड सं०-01/26, दि० 04 जनवरी, 2026 में कोई गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित परिवार डरे सहमें हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कांड के आरोपियों को कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पुलिस चौकी (ओ०पी०) का निर्माण

*1922. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या-117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा प्रखंड में मुबारकपुर बाजार पर पुलिस चौकी (ओ०पी०) नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बाजार पर अनेकों बार (वर्ष 2016 से अबतक) कई आपराधिक घटनाएँ घटित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुबारकपुर बाजार में पुलिस चौकी (ओ०पी०) का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देना

*1923. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी एवं तृतीय पीढ़ी के उत्तराधिकारी को राज्य गृह विभाग द्वारा पहचान-पत्र निर्गत करने का प्रावधान/योजना वर्तमान में नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी भूमिगत स्वतंत्रता सेनानियों को अबतक स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं मिला है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पहचान-पत्र निर्गत करने तथा भूमिगत स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

भवन का निर्माण

*1924. श्री बशिष्ठ सिंह (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम अनुमंडल में 02 अतिरिक्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है जिसका मुख्यालय परसथुआँ थाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि करगहर, कोचस, नोखा, अगरेड़, बड़हरी, सासाराम मुफस्सिल इत्यादि थाना से परसथुआँ की दूरी अधिक है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सासाराम-02 के अन्तर्गत आने वाले सभी थाना पूर्वी भाग में है जबकि परसथुआँ पश्चिम भाग में है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सासाराम-02 का मुख्यालय एवं भवन का निर्माण करगहर प्रखंड में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मील चालू कराना

*1925. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार सात निश्चय-3 के तहत उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु बंद पड़े लोहर, सकरी, रैयाम सहित अन्य पुराने चीनी मिलों को चालू कराने लगभग 25 नये चीनी मिल स्थापित करने एवं गन्ना किसानों के आर्थिक उन्नयन हेतु कृतसंकल्पित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा बंद पड़े पुराने चीनी मिलों को चालू कराने नये चीनी मिलों की स्थापना एवं गन्ना किसानों के हित में एक स्पष्ट नीति बनाई गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बंद पड़े पुराने चीनी मिलों को चालू कराने नये चीनी मिलों की स्थापना से संबंधित कौन-सी योजना बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

ट्रैफिक लाइट सिस्टम लागू कराना

*1926. श्रीमती छोटी कुमारी (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि छपरा शहर के मुख्य मार्गों पर अनियंत्रित अतिक्रमण और ई-रिक्शा की अत्यधिक संख्या के कारण प्रतिदिन घंटों भीषण ट्रैफिक जाम लगा रहता है, जिससे एम्बुलेंस और स्कूली बसें भी फंसी रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस चौकियों का अभाव है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिये 'ट्रैफिक लाइट सिस्टम' कबतक लागू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

सुविधा बहाल कराना

*1927. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पुलिस बहाली में महिला पुलिस बलों एवं पदाधिकारियों की संख्या आरक्षित होने से प्रत्येक बड़े थानों में इनकी संख्या बढ़ गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महिला पुलिस कर्मी की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुये इनके आवासन, शौचालय एवं मेस के साथ रसोइयों की व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार योगापट्टी, लौरिया एवं साठी थाना में मूलभूत सुविधा के साथ महिला बैरक एवं मेस हेतु रसोईया बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पुलिस ओ०पी० की स्थापना

*1928. श्री रमेश ऋषि (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर (अ०जा०))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखंड प्रखंड के टेंगराहा पंचायत के सिकियाहा के ग्राम-भोकराहा में पुलिस कैंप विगत 20 वर्षों से चल रहा था जिसे तीन माह पूर्व हटा लिया गया है, जिस कारण असामाजिक तत्व एवं लूट-पाट की घटनाएँ बढ़ गयी है, यदि हाँ, तो सरकार भोकरहा में कबतक पुलिस ओ०पी० की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1929. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत पुलिस अनुमंडल, झाझा वर्ष 2009 से संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्थापना के लगभग 15 वर्षों के बाद भी पुलिस अनुमंडल, झाझा का अपना कार्यालय भवन तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के लिये आवास नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पुलिस अनुमंडल, झाझा का कार्यालय भवन एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झाझा के आवास का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

उद्योग स्थापित कराना

*1930. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के कोटवा प्रखंड के बथना मठबनवारी में मदर डेयरी सहित अन्य उद्योग स्थापित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर जमीन अधिग्रहित कराकर अन्य उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

बुनियादी सुविधाओं का पुन:निर्माण कराना

*1931. श्री सुजीत कुमार (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड स्थित सुपौल बाजार के अफजला में सुपौल बाजार खादी ग्राम संघ एक ऐतिहासिक संस्था है, जिसकी स्थापना सन् 1944 में भारतीय चरखा संघ के अधीन हुई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले कई दशक से इस संस्था की संरचना अत्यंत जर्जर हो चुकी है और लगभग 2 एकड़ में अवस्थित इस संस्था की जमीन धीरे-धीरे अतिक्रमित होती जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसके संरक्षण एवं बुनियादी सुविधाओं के पुनर्निर्माण का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

-------------

कार्रवाई कराना

*1932. श्री संजय कुमार (क्षेत्र संख्या-183 कुम्हरार)--क्या मंत्री, सिविल विमानन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने और नागरिकों के बीच उड्डयन सुविधाओं की पहुँच बढ़ाने के लिये सिविल विमानन विभाग का स्वतंत्र रूप से गठन किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नीति निर्माण एवं नियमामक कार्यानुभव रखने वाले सलाहकार का पद एक वर्ष से रिक्त होने के कारण नीति निर्माण, अवसंरचना विकास, यात्री एवं पर्यटन कनेक्टिविटी तथा कुशल और प्रभावी संचालन प्रभावित हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नागरिक उड्डयन विभाग में रिक्त सलाहकार के पद को कबतक भरने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का निर्माण

*1933. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के इसुआपुर अंचल के पंचायत छपिया, जयथर एवं चकहन पंचायत के ग्राम-गोविन्दापुर तथा अगौथर सुन्दर पंचायत के ग्राम-अफजलपुर एवं महुली तरैया थाना से संलग्न है एवं इसुआपुर थाना के केरवां, चकहन पंचायत के गाँव अमरदह, शामकौड़िया, सिसवा तथा चकहन, आतानगर पंचायत के ग्राम-गोहा एवं गंगोई एवं अगौथर सुन्दर पंचायत के ग्राम-अगौथर नन्दा, अगौथर सुन्दर, इसुआपुर थाना क्षेत्र में आते हैं, इन पंचायतों के गाँवों की दूरी अपने-अपने थाना से लगभग 10 कि0मी0 की है जिससे पुलिस को अपराध नियंत्रण में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार इसुआपुर अंचल के जयथर, छपिया, केरवां, चकहन एवं अगौथर सुन्दर को दोनों थानों इसुआपुर एवं तरैया से पृथक करते हुये नया थाना शामकौड़िया बाजार पर निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*1934. श्री मौशरीक मृणाल (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर प्रखंड के दौलतपुर स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने से इसमें मवेशियों के प्रवेश के साथ अन्य कारणों से लोग परेशान रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार दौलतपुर में स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

--------

ओपी का निर्माण

*1935. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत हरसिद्धि प्रखंड के मटियारिया कांटा ओपी (सहायक थाना) बीस वर्षों से बंद पड़ी है;

(2) क्या यह बात सही है कि मटियारिया कांटा से अन्य थाना की दूरी 10 से 15 कि0मी0 है, जिससे आमजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पुराने ओपी को पुनः चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

मॉडल थाना भवन का निर्माण

*1936. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौंदा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत दरौंदा थाना एवं सिसवन थाना का भवन काफी पुराना एवं जर्जर है, जिसमें कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार उक्त भवन का पुनः निर्माण कर कबतक मॉडल थाना भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षाफल का प्रकाशन

*1937. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टी0 आर0 ई0-3 (10+2) शिक्षक बहाली विज्ञापन संख्या 22/2024 विषय इतिहास की परीक्षा में ई-सीरीज बुकलेट के क्रमांक संख्या 96 पर पूछे गये प्रश्न ''द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हुआ'' था, का प्राकाशित उत्तर कुंजी में ''10 अगस्त, 1945'' बताया गया है, जबकि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं अन्य द्वारा प्रकाशित पुस्तक में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्ति की तिथि ''02 सितम्बर, 1945'' अंकित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त परीक्षा में गलत प्रश्नोत्तर में अंक कटौती के कारण काफी संख्या में अभ्यर्थी योग्यता सूची से बाहर हो गये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रश्न को सुधारकर आपैबंधिक परीक्षाफल कबतक प्रकाशित कराने का विचार रखती हैं ?

--------

मॉडल थाना स्थापित कराना

*1938. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के इस्लामपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में एक भी मॉडल थाना स्थापित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार इस्लामपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एकंगरसराय प्रखंड एवं इस्लामपुर प्रखंड में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सरकार के योजना के तहत मॉडल थाना स्थापित करना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एकंगरसराय प्रखंड एवं इस्लामपुर प्रखंड में मॉडल थाना स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

मानदेय का पुनर्निर्धारण

*1939. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार से सभी जिलान्तर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (BPSM) के माध्यम से बहाल अनुबंध कर्मी कार्यपालक सहायक विगत 15 वर्षों से अधिक अवधि से विभिन्न विभागों में निरंतर सेवा दे रहे हैं, किन्तु आज भी अल्प मानदेय पर कार्य करने को विवश हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है, अशोक चौधरी समिति द्वारा उक्त कर्मियों को वेतनमान प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई थी, परंतु अबतक इसे लागू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार मानदेय के पुनर्निर्धारण की कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

डिजिटल लाईब्रेरी का स्थापना

*1940. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 243 विधान सभा क्षेत्रों में से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ई-लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में घोषणा की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना का उद्देश्य जेईई (JEE) नीट (NEET) और क्लैट (CLAT) की परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल अध्ययन संसाधन और नौकरियों के बारे में सूचना उपलब्ध कराना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बाढ़ विधान सभा क्षेत्र के अथमलगोला प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत में मुख्यमंत्री डिजिटल लाईब्रेरी कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1941. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत प्रखंड फुलवारीशरीफ पंचायत भुसौला दानापुर वार्ड नं0 7 के चक पर कब्रिस्तान है, जिसका खाता नं0 490, खेसरा 1217, थाना नं0 40, मौजा भुसौला दानापुर है जो सर्वे खतियान में कब्रिस्तान दर्ज है, जिसका चहारदीवारी निर्माण नहीं हुआ है जिससे पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

छात्रावास का निर्माण

*1942. श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र संख्या-243 चकाई)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड सोनों एवं प्रखंड चकाई में अल्पसंख्यक छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिकाधिक छात्र-छात्राओं को महंगे किराये के मकान में पठन-पाठन हेतु रहना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

एंटी-ड्रग्स टास्क फोर्स का गठन

*1943. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला में कहलगांव विधान सभा क्षेत्र सहित बिहार की सीमाओं पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में हाल के दिनों में ड्रग्स (नशीले पदार्थों) का अवैध कारोबार और इसका चलन अत्यधिक बढ़ गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिले के शिक्षण संस्थानों के आस-पास ड्रग्स माफियाओं की सक्रियता बढ़ गयी है और स्थानीय स्तर पर कड़े पुलिसिया हस्तक्षेप की कमी के कारण यह समस्या विकराल रूप ले चुकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कहलगांव सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष एंटी-ड्रग्स टास्क फोर्स का गठन एवं दोषियों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना

*1944. श्री वैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जिला स्तर पर नये औद्योगिक प्रांगणों की स्थापना करने का निर्णय सरकार के द्वारा दो वर्ष पूर्व में लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रस्तावित औद्योगिक प्रांगणों में सभी तरह की आधारभूत सुविधा के साथ-साथ सुरक्षा भी उपलब्ध कराने का निर्णय गत वर्ष राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है जिससे सुरक्षित वातावरण में बेहतर औद्योगिक विकास हो पाना संभव हो सकेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार समावेशी औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु सभी विधान सभा के स्तर पर मिनी औद्योगिक प्रांगणों की स्थापना कर स्थानीय स्तर पर बेरोजगार युवा शक्ति को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

राशि का भुगतान

*1945. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत बिहार लघु उद्यमी योजना वर्ष 2024-2025 के लाभुकों को प्रशिक्षण उपरांत भी प्रथम किस्त की राशि का भुगतान अबतक नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना/मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना/मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति उद्यमी योजना सहित अन्य उद्यमी योजना के कुल 1474 लाभुकों में से क्रमशः 352 लाभुकों को दूसरा किस्त एवं 661 लाभुकों को तीसरी किस्त की राशि का भुगतान नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त लाभुकों को राशि का भुगतान कराने का विचार विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

चीनी मिल खोलना

*1946. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत मोतिहारी चीनी मिल बंद रहने से गन्ना किसानों को उनके उत्पाद का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मोतिहारी चीनी मिल को चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

अग्निशमन केंद्र खोलना

*1947. मोहम्मद मुर्शिद आलम (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट तथा पलासी प्रखंड मुख्यालय में अग्निशमन केंद्र नहीं है जिसके कारण उक्त प्रखंड क्षेत्रों में आगजनी होने पर काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में अग्निशमन केंद्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कार्रवाई कराना

*1948. श्री विशाल प्रशांत (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केंद्र में एक लाख की जनसंख्या पर 152 पुलिस है जबकि राज्य में एक लाख की जनसंख्या पर 75 से 81 जो निर्धारित जनसंख्या की तुलना में बिहार पुलिस का अनुपात काफी कम है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुलिस बल की कमी होने के कारण पुलिस कर्मियों को कार्य घंटे (Overtime) के आधार पर मानदेय/भत्ता नियमित साप्ताहिक अवकाश एवं मानसिक स्वास्थ्य एवं विश्राम की सुविधा नहीं मिल रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (2) के आलोक में स्पष्ट नीति बनाने की कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खुलवाना

*1949. श्री सुरेंद्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-01 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत के प्रखंड भितहाँ में अबतक किसी भी राष्ट्रीय बैंक की शाखा नहीं है, जिस कारण उद्योग, व्यापार बढ़ाने सहित बैंक से लेन-देन करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उद्योग व्यापार बढ़ाने सहित बैंक के माध्यम से लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रखंड भितहाँ में बैंकिंग प्रणाली विकसित करने हेतु कबतक बैंक या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खुलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

कार्रवाई कराना

*1950. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखंड के सुक्की सहुफन के सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार लूट-पाट एवं आपराधिक घटनाएँ घटित होती रहती है, जिससे आम नागरिकों में भय का माहौल बना हुआ है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सीमावर्ती क्षेत्र में अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वहाँ सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु बॉर्डर आउट पोस्ट या पुलिस आउट पोस्ट की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

------------

प्रशासनिक कार्रवाई कराना

*1951. श्री भाई विरेंद्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता एवं कर्तव्यहीनता के साथ पास्को कोर्ट, मुजफ्फरपुर द्वारा 5,000/- रुपये की जुर्माना दिनांक 07 जून, 2025 को तय करने के बावजूद विभाग द्वारा किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई अभीतक नहीं किये जाने क्या औचित्य है ?

------------

सुविधा मुहैया कराना

*1952. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अन्तर्गत मोहनपुर प्रखंड के लखैपुर पंचायत के ग्राम-कुरोपाती में सूफीशाह करीमी चिश्ती के बयालीसवें पीढ़ी का मजार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में लोग जायरीन चादरपोशी के लिए आते हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि आयोजन स्थल पर ठहरने तथा प्रसाधन की व्यवस्था नहीं होने से जायरीनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जायरीनों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस ओ०पी० का निर्माण

*1953. श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहां प्रखंड के उनसर के काली मंदिर के पास पुलिस ओ०पी० नहीं है जिसके कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त काली मंदिर चौक के पास पुलिस ओ०पी० कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

EBC (अनुसूची-1) में शामिल करना

*1954. मो० सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सीमांचल क्षेत्र (मुख्यत: किशनगंज, अररिया, पूर्णियाँ एवं कटिहार) में निवास करने वाले सुरजापुरी मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 26 लाख है और इनकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति अत्यंत दयनीय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इसी क्षेत्र के समकक्ष समुदायों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) की सूची में शामिल किया जा चुका है, जबकि सुरजापुरी समुदाय अभी भी पिछड़ा वर्ग (BC-2) में ही वर्गीकृत है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विशेष सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराकर सुरजापुरी मुस्लिम समुदाय के व्यापक पिछड़ेपन और विशाल आबादी को देखते हुए इन्हें राज्य की EBC (अनुसूची-1) में शामिल करने तथा केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण हेतु केंद्र को ठोस अनुशंसा भेजने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

फूड पार्क का निर्माण

*1955. श्री मुरारी पासवान (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत पीरपैंती विधान सभा क्षेत्र में फूड पार्क नहीं है जबकि यहाँ फलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है और यहाँ किसानों द्वारा उत्पादित फलों को औने-पौने दाम पर बिक्री के लिए विवश होना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में प्रचूर मात्रा में आम, केला, लीची एवं कटहल का उत्पादन होता है, यहाँ के आम विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्र में फूड पार्क की कबतक तक स्थापना कराने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1956. मो० तौसीफ आलम (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के अलताबाड़ी पंचायत के कोइमारी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण और पशु चारागाह बना हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कब्रिस्तान की अतिक्रमित जमीन से मुक्ति हेतु कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वाहनों की नीलामी कराना

*1957. श्री रोहित पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न थानों में वर्षों से जब्त हजारों वाहनों की ससमय निलामी एवं निस्तारण के अभाव में जब्त वाहन खुले में जर्जर हो जाते है साथ ही थाने के आसपास सरकारी भूमि में जाम की स्थिति के साथ सार्वजनिक अव्यवस्था से कार्यों में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा एक समय सीमा के अंदर वाहनों का निस्तारण निलामी के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान है, जिसका पालन ससमय नहीं हो पा रह है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भागलपुर के विभिन्न थानों में जब्त वाहनों को नियमानुसार निलामी के माध्यम से निस्तारण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

भूमि अधिग्रहण कराना

*1958. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगुसराय)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य कैबिनेट के द्वारा अगस्त, 2025 में बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय प्रखण्ड के कुश्महौत मौजा, थाना नं० 334 में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु कुल रकबा 991 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग रु० 3,51,39,76,345 (रुपयें तीन अरब एकावन करोड़ उनचालीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ पैतालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्वीकृति के लगभग 6 माह बीत जाने के बाद भी अबतक उक्त स्थल पर भूमि अधिग्रहण और विकास कार्य शुरू नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्वीकृत योजना के तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर, विकास कार्य प्रांरभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कानूनी कार्रवाई कराना

*1959. श्री गोपाल कुमार अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत गलगलीया थाना में सी-474/2019 दिलीप साह बनाम मो०सज्जाद हुसैन पूर्व थानाध्यक्ष एवं अन्य दो के विरुद्ध माननीय न्यायालय श्री रमीर्जुर रहमान जे०एम० प्रथम श्रेणी, किशनगंज कोर्ट नं० 15, ने दिनांक 11 अक्तूबर, 2022 को संज्ञान लेते हुए गैर जमानती वारंट अभियुक्तों के विरुद्ध निर्गत किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तीनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध गैरजमांती वारंट निर्गत के बावजूद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फूड प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना

*1960. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के किसानों द्वारा मक्का की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, यदि हाँ, तो सरकार मधेपुरा में मक्का आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कार्रवाई करना

*1961. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर थाना अंतर्गत कस्बे आहार ग्राम के अजीत कुमार यादव, पिता-रामपुकार यादव, दिनांक 23 मई, 2025 के करीब 1 बजे दिन से लापता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त के गुमशुदगी की रिपोर्ट ताजपुर थाना काण्ड संख्या 173/25 दिनांक 24 सितम्बर, 2025 को दर्ज किया गया, लेकिन अभीतक अजीत कुमार यादव का पता लगाने में ताजपुर पुलिस विफल रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कांड का अनुसंधान व दोषी पर कार्रवाई का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

पुलिस चौकी का निर्माण

*1962. श्री प्रमोद कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के रफीगंज थाना भवन से भदवा बाजार की दूरी 11 कि०मी० से अधिक है, जिसके कारण आये दिन वहां के दुकानों एवं घरों में चोरी एवं अन्य अप्रिय घटनाएँ घटती रहती हैं और उक्त पंचायत में घटना घटित होने पर पुलिस को पहुँचने में देरी होती है, यदि हाँ, तो सरकार भदवा बाजार में पुलिस चौकी कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

थाना से जोड़ना

*1963. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिलान्तर्गत शहजादपुर और बैकटपुर दुधैला का आधा पंचायत नाथनगर प्रखंड भागलपुर जिला के पास है, उक्त पंचायत के लोगों को जो कि अभी बिहपुर थाना में है, 75 किलो मीटर की दूरी तय कर थाना आना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से नाथनगर थाना से जोड़ना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

खादी मॉल का निर्माण

*1964. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ में निर्माणाधीन खादी मॉल का कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खादी मॉल का उद्देश्य खादी उत्पाद विक्रय के साथ स्थानीय कारिगरों, बुनकरों एवं स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को स्थाई बाजार उपलब्ध कराना है, परंतु निर्माण में

अनावश्यक विलंब के कारण आर्ट एवं क्राफ्ट तथा खादी उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा रोजगार के अवसर भी प्रभावित हुये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निर्माणाधीन खादी मॉल यथाशीघ्र खोलने तथा निर्माण में विलंब करने वाले संबंधित अधिकारी व एजेंसी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

संशोधित वरीयता सूची का प्रकाशन

*1965. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि BPSC/BSSC/BTSC के एक विज्ञापन (भर्ती परीक्षा) से किसी सेवा संवर्ग में नियुक्त सेवकों की आपसी वरीयताक्रम नियुक्ति तिथि क्रम में नहीं बल्कि अनुशंसा सूची के मेधाक्रम में निर्धारित होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में लिपिक संवर्ग में नियुक्त सेवकों की आपसी वरीयता (क्रम 39 से 49) मेधाक्रम के अनुसार नहीं बल्कि योगदान/नियुक्ति की तिथि के आधार पर की गयी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के लिपिकों की वरीयताक्रम 46 एवं 47 के योगदान की तिथि समान है, परन्तु मेधाक्रम 38 की वरीयता मेधाक्रम 36 के ऊपर है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त लिपिकों की वरीयता सूची में त्रुटिनिराकरण कर संशोधित वरीयतासूची का प्रकाशन कबतक कराने का विचार रखती है ?

---

दिशा-निर्देश जारी कराना

*1966. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला की चीनी मिलों से निकले टेमा के चलते सिकहरना नदी का पानी सालों भर प्रदूषित रहता है तथा बाढ़ के समय यह प्रदूषित पानी किसानों के खेतों को भी प्रभावित करता है, जिससे उनकी फसल की बर्बादी होती है साथ ही प्रदूषित पानी पीने से क्षेत्र के जानवरों को भी सेहत प्रभावित हो रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रकृति परिवर्तन, किसानों की फसल बर्बादी एवं जीव-जन्तुओं के जान की क्षति नहीं हो इसके लिये चीनी मिल मालिकों के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

भवन का निर्माण

*1967. श्री सुजीत कुमार (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत बरगांव ओ०पी० थाने में उन्नयन किये जाने के बाद भी इसका अपना भवन नहीं है, जिसके कारण विधि व्यवस्था संधारण के साथ-साथ थाना अभिलेख रख-रखाव में काफी कठिनाइयाँ हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा उक्त थाने के भवन निर्माण के लिये स्थल का चयन कर लिया गया है, मगर भवन निर्माण कार्य लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बड़गांव थाना के भवन निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

थाना का निर्माण

*1968. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया थानान्तर्गत तरैया अंचल के 13 पंचायत, इसुआपुर का छपियां एवं जयथर पंचायत, चकहन पंचायत का ग्राम-गोविन्दापुर एवं अगौथर सुन्दर पंचायत का ग्राम-अफजालपुर एवं महुली कुल 17 पंचायत आते हैं जिसके कारण तरैया थाना क्षेत्र की आबादी अत्यधिक हो जाती है साथ ही थाना से अंतिम गांव की दूरी लगभग 10 कि०मी० की है और तरैया थानान्तर्गत अधिक जनसंख्या घनत्व एवं दियारा क्षेत्र होने से पुलिस प्रशासन को अपराध नियंत्रण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार तरैया थाना क्षेत्र के कुल 5 पंचायतों क्रमशः पचरौर, भटगाई, नारायणपुर, डेवढ़ी एवं सरेया रत्नाकर को पृथक कर एक नया थाना मंझोपुर थाना का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*1969. श्री मौशरीक मृणाल (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत खानपुर प्रखण्ड के शोभन टारा ग्राम एवं वारिसनगर प्रखण्ड के बेगमपुर स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने से मवेशियों के प्रवेश एवं अन्य कारणों से लोग परेशान रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार शोभन टारा बेगमपुर में स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

पटना :
दिनांक 23 फरवरी, 2026 (ई०)।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि०स०मु० - 39 (एल०ए०), 2025-26 डी०टी०पी०-600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026